रानीताल स्टेडियम | जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ की बैठक में आगामी प्रतियोगिताओं पर चर्चा

अक्टूबर से शुरू होगा संभाग की क्रिकेट टीमों का मुकाबला

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा रानीताल क्रिकेट मैदान के हॉल में रविवार को दोपहर 12 बजे आगामी प्रतियोगिताओं पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। संघ के अध्यक्ष निशिथ भाई पटेल की अध्यक्षता और सचिव सुशील कुमार रजक की उपस्थिति में संपन्न हुई इस सभा में सत्र 2026-27 की आगामी प्रतियोगिताओं की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। इसके तहत पंजीकृत सभी क्लबों और अकादमियों के पदाधिकारियों को खेल कार्यक्रमों की जानकारी देकर उनके सुझाव लिए गए, जिसमें अंतर जिला बालक वर्ग 15 व 18 वर्ष की प्रतियोगिताएं 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कराने का निर्णय लिया गया। आगे के कार्यक्रमों में बालक वर्ग 22 वर्ष की प्रतियोगिता 12 नवंबर से 28 नवंबर तक तथा सीनियर बालक व 13 वर्ष के खिलाड़ियों का अंतर जिला टूर्नामेंट 1 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाना है। इसके साथ ही जबलपुर संभाग में इंटर क्लब प्रतियोगिता, डिवीजन ट्रॉफी, इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। पवन सिंधिया द्वारा संचालित इस आयोजित सभा में प्रशांत द्विवेदी, मनोज सिंह ठाकुर, द्वारका मिश्रा, गोपाल दत्त जोशी, धर्मेश पटेल सहित एम एच क्लब, जिमखाना क्लब, राइजिंग स्टार गोल बाजार, हनुमान क्लब, ओ एफ के खमरिया एकेडमी, बल्ली सोनकर क्रिकेट अकादमी, रंगभूमि इंफिनिटी क्रिकेट अकादमी, रॉयल क्रिकेट अकादमी, गोकलपुर क्रिकेट अकादमी, संजीवनी क्रिकेट अकादमी, जबलपुर क्रिकेट अकादमी, सत्य प्रकाश क्रिकेट अकादमी, मदन क्रिकेट अकादमी और जाबालि क्रिकेट अकादमी के पदाधिकारी मौजूद थे।

ये रहे उपस्थित

इस दौरान किशोर बैन, विद्यापति श्रीवास्तव, अंकित यादव, शशांक कोस्टा, निखिल सिंह, नीरज जैन, हरीश परिहार, राजीव परिहार, सोमिल भट्टाचार्य, अभिषेक तांबे, अमित यादव, पी रामा राव, सचिन साहू, याकूब खान सहित कई खेल प्रेमी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सड़क पर गड्ढों से हादसों का खतरा, मरम्मत की मांग

बड़वारा से देवरी हटाई मार्ग की सड़क जर्जर

नवभारत, कटनी। जिले के बड़वारा-देवरी हटाई मार्ग की स्थिति इन दिनों अत्यंत जर्जर और खतरनाक हो गई है। सड़क की खस्ताहाली और गड्ढों से बेहाल बड़वारा क्षेत्र के नागरिकों की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है कि सड़क की मरम्मत कराई जाए। पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने बताया कि बड़वारा नगर में प्रवेश करते ही पुलिया पर बने बड़े-बड़े गड्ढे रोज गंभीर हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। बड़वारा से बछरवारा मार्ग पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। ग्राम भगनवारा की जर्जर पुलिया कभी भी ध्वस्त हो सकती है, जिससे किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि एक वर्ष पूर्व इस मार्ग पर डामरीकरण कराया गया था। सड़क निर्माण में की गई गुणवत्ता की अनदेखी के कारण कुछ ही महीनों में सड़क पूरी तरह उखड़ गई, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। कांग्रेस नेता करण सिंह चौहान ने ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजता है, जिसकी एक प्रति कलेक्टर आशीष तिवारी को भी भेजी गई है। पत्र में मांग की गई है कि लोक निर्माण विभाग के संबंधित इंजीनियर को तत्काल निलंबित किया जाए और सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जब तक इस खतरनाक मार्ग को दुरुस्त नहीं कर लिया जाता, तब तक सांदीपनि विद्यालय बड़वारा में इस मार्ग 15 से 20 गांव से आने वाले बच्चों की सुरक्षा के हित में छुट्टी घोषित की जाए।

एक नजर में

पांच वर्षों से अनुपस्थित पटवारी की सेवा समाप्त

नवभारत, कटनी। लगभग पांच वर्षों से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रही पटवारी श्रीमती प्रीति तिवारी को शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा के प्रावधानों के तहत की गई है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्रीमती प्रीति तिवारी 16 सितंबर 2021 से बिना पूर्व अनुमति और बिना किसी सक्षम आदेश के अपने पद से लगातार अनुपस्थित रहीं। उनकी अनुपस्थिति को लेकर अप्रैल 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया, जहां से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जनवरी 2023 में संबंधित पटवारी ने डाक के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चिकित्सा प्रमाण-पत्र भेजा तथा नो वर्क-नो पे के आधार पर असाधारण अवकाश का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने न तो ड्यूटी जॉइन की और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अन्य आवेदन या दस्तावेज प्रस्तुत किया। अनाधिकृत अनुपस्थित रहना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संबंधित कर्मचारी शासकीय सेवा के प्रति गंभीर नहीं हैं और अपने दायित्वों के निर्वहन में रुचि नहीं रखती हैं।

जिला अस्पताल को मिली डायलिसिस मशीन की सौगात

नवभारत, नरसिंहपुर। जिला अस्पताल नरसिंहपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी, जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने नई डायलिसिस मशीन का लोकार्पण कर मरीजों के लिए उपचार सुविधा का शुभारंभ किया। विदित है कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 21 लाख रुपये की लागत से स्थापित दो नई हीमोडायलिसिस मशीन प्रदान की गई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

ब्लॉक स्तरीय शालेय रस्सीकूद प्रतियोगिता आयोजित

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का जिला स्तर के लिए चयन

नवभारत, गाडरवारा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सत्र 2026-27 की ब्लॉक स्तरीय शालेय रस्सीकूद प्रतियोगिता का आयोजन गत दिवस ग्राम आमगांव छोटा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया। प्रतियोगिता के समापन पर प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का चयन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक खेल अधिकारी सत्यप्रकाश ढिमोले, संस्था के प्राचार्य मोहन मुरारी दुबे, विजेंद्र कौरव, अशोक झारिया, मुकेश पटैल सहित अन्य शिक्षक एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की।

बिना दस्तावेज विदेशी सोना रखने पर कारोबारी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने की कार्रवाई, जांच जारी

नवभारत, कटनी। राजस्व खुफिया निदेशालय की भोपाल क्षेत्रीय इकाई ने विदेशी मूल का सोना जब्त करते हुए दो तस्करों और एक सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई कटनी रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद सराफा बाजार स्थित गोयनका ज्वेलर्स पर छापे के रूप में की गई। डीआरआई को मिली खुफिया सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात कटनी रेलवे स्टेशन पर दो युवकों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 748.10 ग्राम विदेशी मूल का सोने का बिस्किट बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह सोना विदेशी रिफाइनरी का पाया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सत्यम सराफ और आयुष मिश्रा के रूप में हुई है। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान अन्य जानकारी मिली। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि बरामद विदेशी सोने का कुछ हिस्सा शहर के सराफा बाजार स्थित गोयनका ज्वैलर्स तक पहुंचाया जाना था। इस इनपुट के आधार पर डीआरआई की टीम ने तत्काल गोयनका ज्वैलर्स पर छापा मारा।

सराफा दुकान में तलाशी के दौरान 100.1 ग्राम वजन का एक विदेशी गोल्ड बार मिला, जिस पर वालकैंबी स्विट्जरलैंड 100 ग्राम गोल्ड 995.0 अंकित था। डीआरआई के अनुसार इस प्रकार की मार्किंग विदेशी रिफाइनरी की पहचान होती है। इसके अतिरिक्त, दुकान से सोने के 11 कटे हुए टुकड़े, एक छोटा चपटा टुकड़ा और अंगूठी के आकार का सोने का तार भी बरामद किया गया। जांच के दौरान जब इन आभूषणों और विदेशी सोने के आयात से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए, तो सराफा व्यापारी उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद डीआरआई ने बरामद सभी सामग्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-110 के तहत जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान सराफा कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन टुकड़ों पर कोई पहचान चिन्ह या रिफाइनरी मार्क नहीं था। सभी टुकड़ों का अलग-अलग वजन कर जब्त किया गया। डीआरआई अधिकारियों ने दुकान संचालक अरुण कुमार गोयनका से बरामद विदेशी सोने के आयात से जुड़े बिल, सीमा शुल्क भुगतान के दस्तावेज और अन्य वैध अभिलेख मांगे। मामले की जांच की जा रही है।

नशे की 9 हजार टेबलेट लिए घूम रहे दो युवकों को पुलिस ने दबोचा

रंगनाथ पुलिस ने की कार्रवाई एएसपी ने किया खुलासा

नवभारत, कटनी। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रंगनाथनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 9 हजार नाइट्राजेपाम टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद नशीली गोलियों की बाजार कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में एएसपी कमल मोर्य ने बताया कि 1 अगस्त को पेट्रोलिंग के दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्राउंड के पीछे दो संदिग्ध युवक प्लास्टिक की बोरी लेकर जाते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े आरोपी बरगवां निवासी पंकज उर्फ देवा मिश्रा (38) और देवा कोल (21) हैं। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 30 पैकेटों में रखी 9 हजार नाइट्राजेपाम टैबलेट बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार इन गोलियों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। जब्त की गई नशीली दवाओं वजन 5 किलो 760 ग्राम है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने गोलियां खरीदकर लाने की बात स्वीकार की है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और किन लोगों तक इसकी आपूर्ति की जानी थी। कार्रवाई में रंगनाथ नगर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरुणपाल सिंह सहित थाना स्टाफ और साइबर सेल की टीम की भूमिका रही। पूरी कार्रवाई एसपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन,, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य और नगर पुलिस अधीक्षक शिवा पाठक के मार्गदर्शन में की गई है।

वनांचल के दुर्गम पहाड़ी गांवों में सेवा का संकल्प

नवभारत, गाडरवारा। नगर के वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश बसेड़िया ने विगत दिवस दूरस्थ एवं दुर्गम पहाड़ी वनग्राम पीपला, टोला, वेरवन सहित अन्य आदिवासी बस्तियों में पहुंचकर सेवा कार्य किए। बरसात के मौसम में मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं नौनिहाल बच्चों को मच्छरदानियां वितरित की गईं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को आकर्षक स्कूल बैग, पठन-पाठन सामग्री, स्कूल ड्रेस, वस्त्र एवं फ्रॉक प्रदान किए गए। साथ ही विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के अभिभावकों को समझाइश देकर उन्हें पुनः स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। लगातार वर्षा के कारण जिन परिवारों के कच्चे मकानों का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, उन्हें तत्काल सहायता के रूप में प्लास्टिक शीट (पन्नी) उपलब्ध कराई गई, ताकि वे अपने आशियाने की अस्थायी मरम्मत कर सकें। मुकेश बसेड़िया ने बताया कि वे वर्ष 2001 से पिछले 23 वर्षों से बिना किसी शासकीय अनुदान, बिना किसी ट्रस्ट और पूर्णतः अपने निजी संसाधनों से वनांचल के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की सेवा कर रहे हैं। उनके सेवा कार्यों में बेटियों की शिक्षा, विवाह, असहाय एवं निराश्रित वृद्धजनों की सेवा तथा जरूरतमंद परिवारों की हरसंभव सहायता शामिल है।

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार बलराम पटेल, आत्मज स्व. महेन्द्र सिंह पटेल, निवासी-बखरी मोहल्ला, वार्ड नं.-9, शहपुरा भिटौनी, जबलपुर (म.प्र.) की ओर से आम जनता को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार के द्वारा मौजा करमेता, न.बं.-497, प.ह.नं.-78, रा. नि.मं. माढ़ोताल, तहसील-आधारताल, जिला-जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं.-385/1 में से 6500 वर्गफुट भूमि श्री मनीष त्रिपाठी, आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी निवासी-म.नं.-224/2, पाटन रोड, बजरंग नगर, लमती, करमेता, जबलपुर से क्रय किया जा रहा है। यदि उक्त संपत्ति के क्रय-विक्रय के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति है तो वह व्यक्ति मेरे कार्यालय में आम सूचना प्रकाशित होने के 03 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है एवं 03 दिवस के पश्चात मेरा पक्षकार उपरोक्त संपत्ति का विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा लेगा एवं उसके पश्चात की गई आपत्ति अमान्य मानी जावेगी।

(अशोक गुप्ता)
अधिवक्ता
Office-2050, Tagore Nagar
arighat Road, Jabalpur (M.P.)
Mob.-08263-44345

पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणादायी पहल

नवभारत, नरसिंहपुर। रोटरी क्लब ऑफ नरसिंहपुर सिटी के तत्वाधान में आयोजित यादों की छाँव वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत रविवार को श्याम सुंदर नारायण मुशरान पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री पटेल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्धन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण करना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भाव विकसित करना है।

SECTION– 1

Notice Inviting Tender

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT DIVISION UMARIA

NIT.No/2026-27/e-tendering/MPFD/2898 — Umaria Dated: 31.07.2026

Online percentage rate bids for the following works are invited from registered contractor sand Firm so f repute fulfilling registration criteria:

S.No./Pkg/ Code	Name of Work	District(s)	Probable Amount of Contract (Rs.in lakh)	Period of Completion
1.	Line Quarter Construction work at Umaria	Umaria	48.30	06 Months (Including Rainy Season)

1. Interested bidders can view the detailed NIT on the website https://mptenders.gov.in/
2. The Bid Document can be purchased only online from Date 03.08.2026 Time 10.30 am to Date 17.08.2026 Time 04.30 pm As provided in the portal (https://mptenders.gov.in)
3. Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and not in newspaper.
4. The Affidavit of Rs. 100/- in prescribed format as per Annexure-B duly notarized and other mandatory documents along with electronic EMD shall be uploaded online along with the tender as instructed by the Government of Madhya Pradesh, Forest Department, Madhya Pradesh. If any bidder fails to upload the above mentioned online then their tender/offer shall stand disqualified.
5. The tender document can be purchased only online from the above website after making online payment using credit card or internet banking account. Detailed NIT and other details can be view on the above-mentioned portal.

Sd/-
Divisional Forest Officer
Territorial Division Umaria

जी.- 16620/26 | बच्चों की मुस्कान हैं अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)

क्रमांक/490/अ.वि.अ./भू-अर्जन /2026 — गोटेगांव, दिनांक-16/07/2026

प्रारूप-V (नियम-10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत् पुनवार्सन एवं पुनर्व्यावस्थान घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र.05/अ-82/2025-26 मौजा ग्राम-शेढ़ पिपरिया, प.ह.नं.89,तहसील-गोटेगांव

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन शेर सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम शेढ़ पिपरिया प.ह.नं. 89 नं.ब. - 588 तहसील - गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में कुल 3.252 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 3.252 हेक्टेयर है ग्राम शेढ़ पिपरिया तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

ग्राम-शेढ़ पिपरिया प.ह.नं. 89 नं.ब. 588 तहसील गोटेगांव

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
1	रूपलाल पिता संतराम, मीराबाई पिता संतराम, जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	भूमिस्वामी	153(S)	0.150
2	पित्तोबाई पिता हरि बत्तीबाई पिता हरि रेवतीबाई पिता हरि जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	154(S)	0.417
3	रूपलाल पिता संतराम, मीराबाई पिता संतराम, जाति गोंड पता शेढ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	155(S)	0.200
4	गोरेलाल पिता गुलाब जाति मेहरा सा. देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर	भूमिस्वामी	159(S)	0.010
5	बाबूलाल पुत्र श्यामलाल, भूरालाल पुत्र पंचूलाल, शशिबाई पुत्री पंचूलाल, मांतीबाई पुत्री पंचूलाल, लाड़लीबाई पुत्री श्यामलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	160(S)	0.040
6	रामकुमारी बेवा डब्बूलाल, हंसोबाई पिता डब्बूलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	161/2(S) 168/1 169/4	0.489
7	शम्भू पिता हुबला जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	161/3(S) 168/2 169/2	0.400
8	हुकम पिता डब्बू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	162(S)	0.200
9	हुकम पिता डब्बू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163/1(S)	0.024
10	रमेश पिता रामचरन, इन्द्रेश कुमार ना. बा. पिता खुमानसिंह वली व. खुद मां रेमोबाई बेवा खुमानसिंह, अन्नोबाई मनोवाई कष्णावाई पिता छिकोडीलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163/2(S)	0.081
11	ताराबाई बेवा दसई जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163/3(S)	0.061
12	गिन्दा पिता खिन्तू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	164(S)	0.580
13	गिन्दा पिता खिन्तू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	167(S)	0.430
14	मोतीलाल पिता रामदीन जाति गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	169/2(S)	0.050
15	टेकसिंह पिता भारत गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	171/1/3(S)	0.120
	कुलयोग			3.252

कुल निजी अर्जित भूमि 3.252 हे.

धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के सरल क्रमांक 15 एवं 16 में प्रकाशन पश्चात भौतिक सत्यापन में पाया गया कि ख.नं. 170 का रकबा अधिग्रहण में प्रभावित नही हो रहा है। अतः धारा 19 की घोषणा में ख.नं. 170 के बटांक 170/1 एवं 170/2 को शामिल नही किया जा रहा है।

1. कार्यपालन यंत्री पेचं व्यवर्तन जलसंसाधन संभाग क्र. 01 चौरई जिला छिंदवाडा के द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
2. शेर सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्क्रीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह तत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गोटेगांव के कार्यलय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

(संघमित्रा गौतम)
अनुविभागीय अधिकारी
सह भू-अर्जन अधिकारी
गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर

(रजनी सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

जी-16587/26 | स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता